

**समाहरणालय दरभंगा
(जिला योजना कार्यालय)**

—: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स0वि0स0/स0वि0प0 द्वारा मध्य विद्यालय/महाविद्यालयों/सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तक क्रय की अनुशंसा (पुस्तकों की सूची के साथ) के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की सूची के आधार पर संबंधित संस्थानों में पुस्तक की आपूर्ति की जानी है। पुस्तक क्रय हेतु जिला योजना कार्यालय, दरभंगा में दिनांक 08.09.2020 को अपराह्न 1.00 बजे तक विभिन्न प्रकाशकों/वितरकों एवं अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबन्द लिफाफा में निविदा अमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक 08.09.2020 को ही अपराह्न 3.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाना है, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि रह सकते हैं। पुस्तकों की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, दरभंगा से प्राप्त किया जा सकता है तथा www.darbhanga.bih.nic.in जिला के वेबसाईट पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, दरभंगा में निर्धारित समय एवं तिथि तक ही प्राप्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से पुस्तक क्रय हेतु नमूने की एक-एक प्रति के साथ निविदा अमंत्रित की जाती है।

शर्त :-

1. जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से ₹50000.00 (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो दरभंगा में भुगतये होगा।
2. निविदादाता को तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति तथा पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता का Turn over एक वर्ष में ₹5000000.00 (पचास लाख रु०) का होना अनिवार्य है।
4. पूर्व में बिहार के सरकारी विद्यालयों/पुस्तकालयों में पुस्तक आपूर्ति का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
6. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
8. क्षति ग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
9. बिहार क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जायेगी।
10. National Book Trust, NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाये।
11. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जायेगी।

(क) 01 से 10 प्रतियों पर -	10 प्रतिशत
(ख) 11 से 25 प्रतियों पर -	15 प्रतिशत
(ग) 26 से 100 प्रतियों पर -	20 प्रतिशत
(घ) 101 से 200 प्रतियों पर -	25 प्रतिशत
(ङ) 201 से 500 प्रतियों पर -	30 प्रतिशत
(च) 501 से उपर प्रतियों पर -	35 प्रतिशत

12. प्रकाशन उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते हैं।
13. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों रेल पार्सल स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाय।

क्र०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम एवं पूरा पता	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	साजिल्य/अजिल्य एवं मूल्य मुद्रित।

15. पुस्तकों की आपूर्ति पूर्ण राशि का करना अनिवार्य होगा।
16. आधा-अधूरा पुस्तकों की आपूर्ति करने पर अग्रघन की राशि जब्त कर लिया जायेगा।
17. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.darbhanga.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

AB
25/8/2020

AB
25/8/2020
उप विकास आयुक्त
दरभंगा।